

म.प्र.शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक/485/1575/2018/26-2
प्रति,

भोपाल दिनांक 15/04/2019

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय:- माह अप्रैल 2019 की "पेंशन आपके द्वार" व्यवस्था की पुनरीक्षित तिथि के संबंध में।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत जैसा कि आपको विदित है कि 5 कि.मी. से अधिक दूरी वाले ग्रामीण क्षेत्र के कल्याणी, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ वृद्धजन पेंशन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान निश्चित तिथि को निकटस्थ स्थान पर बैंकों के बिजनेस करस्पोंडेन्ट (बी.सी.) एवं पोस्ट आफिस के माध्यम से प्राप्त हो, इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में 'पेंशन आपके द्वार' व्यवस्था पूर्व से प्रचलित है जिसके तहत ऐसे पेंशन हितग्राहियों जिन्हें मासिक पेंशन आहरण हेतु 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है उन्हें प्रत्येक माह की 7 तारीख को उनके ग्रामों में ही बैंकों के बिजनेस करस्पोंडेन्ट तथा पोस्ट आफिस द्वारा पेंशन राशि प्रदान की जाती है।

2. नवीन वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के कारण माह अप्रैल 2019 में पूर्व से निर्धारित तिथि को पेंशन आपके द्वार व्यवस्था के तहत पेंशन का वितरण नहीं हो सका था।

अतः पेंशन आपके द्वार व्यवस्था की माह अप्रैल 2019 हेतु पुनरीक्षित तिथि दिनांक 23-4-2019 निर्धारित की जाती है। आगामी माहों की तिथियां तथा समय समय पर पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(मंदा राठौर)

अवर सचिव

म.प्र.शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

पृक्रमांक/ 486 /15 75/2018/26-2

भोपाल दिनांक 15/04/2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. महाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. पोस्ट मास्टर जनरल, प्रधान डाकघर कार्यालय, मैदामिल रोड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

म.प्र.शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन